**उत्तराखण्ड शासन**

**औद्योगिक विकास अनुभाग-2**

**संख्याः /VII-A-2/2020-16(सिडकुल)/2019**

**देहरादून:दिनांक : 27 जनवरी, 2020**

**अधिसूचना**

**सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन** की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति (संशोधित)-2019 के अधीन एकीकृत औद्योगिक आस्थान काशीपुर, जिला-उधम सिंह नगर में सगन्ध फसल के व्यवसाय/कृषिकरण की व्यापक सम्भावना के दृष्टिगत, कृषकों द्वारा उत्पादित विभिन्न सगन्ध प्रजातियों/सगन्ध पौध/जड़ी-बूटी पर आधारित सूक्ष्म व लघु उद्यमों के क्लस्टर के माध्यम से कृषकों की आय में अभिवृद्धि तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न चिन्हित भूखण्डों पर अरोमा उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु **“अरोमा पार्क**” की स्थापना किये जाने हेतु राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

|  |  |
| --- | --- |
| गांव/ आस्थान का नाम | खसरा नं0 एवं प्लाट संख्या |
| ग्राम-दोहरी वकील, काशीपुर  एकीकृत औद्योगिक आस्थान काशीपुर, उधम सिंह नगर, (एस्कार्ट फार्म)  (कुल भूमि/क्षेत्रफल -41.09 एकड़) | खसरा संख्या-14, 16, 18, 73, 74, 75, 76, 77 तथा 78 में स्थित-सेक्टर-1 के प्लाट संख्या- 3, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7, 8, 9, 9A, 10, 10A, 11, 11A, 12, 13, 13A, 13B, 13C, 14A, 14B, 14C, 15, 15A, 15B, 15C, 16, 16A, 16B, 16C, 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 21A, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 |

(मनीषा पंवार)

प्रमुख सचिव।

**संख्याः 822 (1)/VII-A-2/2020-16(सिडकुल)/2019, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।

2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

3- निजी सचिव, सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4- महानिदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

5- प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, उत्तराखण्ड, देहरादून।

6- जिलाधिकारी, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड।

7- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को आगामी सरकारी गजट में प्रकाशनार्थ।

8- एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर को अधिसूचना को शासकीय अधिसूचना की बेवसाईट पर अपलोड हेतु।

9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमेश नारायण पाण्डेय)

अपर सचिव।